(31)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1181–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 06–03–12 पारित अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिरमौर जिला रीवा प्रकरण कमांक 09/अ–6/2011–12 अपील.

1– रूद्रमणि प्रसाद तिवारी पिता रामनारायण तिवारी
2– जगजीवनलाल तिवारी पिता रामनारायण तिवारी
3– कृष्णकुमार तिवारी पिता रामसुजान तिवारी
समस्त नि0 ग्राम चौरा, तह0 सिरमौर,
जिला रीवा, म0प्र0

विरूध्द ––– आवेदकगण

रमबतिया उर्फ जिगरी पिता हीरामणि पति लोकमणि द्विवेदी
नि0 ग्राम चौरा, तह0 सिरमौर, जिला रीवा, म0प्र0

–– अनावेदक

श्री अशोक तिवारी, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री रावेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 21.4.2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 09/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 06–03–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक रमबतिया उर्फ जिगरा व्दारा ग्राम सभा चौरा की बैठक दिनांक 15–8–03 के प्रस्ताव क0–1 एवं नामान्तरण पंजी क0–2 में पारित आदेश दिनांक 15–8–03 के विरूध्द अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष 22–12–11 को प्रस्तुत की। आवेदकगण ने एकपक्षीय स्थगन को निरस्त करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 10–1–12 को आवेदनपत्र प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06–03–12 व्दारा आवेदकगण का आवेदनपत्र निरस्त कर यथास्थिति बनाये रखने के आदेश को यथावत रखा और प्रकरण कथन एवं नामान्तरण पंजी आहूत करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदकगण व्दारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 28–3–12 व्दारा संशोधन अधिनियम 2011 के तहत पुनरीक्षण की अधिकारिता नहीं होने से अग्राह्य किया। अतः आवेदकगण व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदकगण व्दारा लिखित तर्कों में मुख्य रूप से यह मुद्दा प्रस्तुत किया गया है कि हीरामणि की दो पुत्रियॉं रामबती एवं जिगरी हैं। ग्राम पंचायत की बैठक प्रस्ताव में दोनों पुत्रियों ने उपस्थित होकर आवेदकगण के नामान्तरण में स्वेच्छापूर्वक पारिवारिक विभाजन के तहत सहमति दी थी। प्रश्नाधीन भूमि के अंश भाग पर कृष्णकुमार तिवारी मकान बनाकर आबाद है व आवेदक क0–1 रूद्रमणि प्रसाद का मकान निर्माण चल रहा है। अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आवेदकगण व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किये बिना स्थगन जारी करने में त्रुटि की है। उनका यह भी तर्क है कि संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार स्थगन एक बार में तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं दिया जा

1–

सकता। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के पिता हीरामणि के स्वामित्व की है तथा हीरामणि की दो पुत्रियॉ रामबतिया उर्फ जिगरी तथा मनवतिया हैं। प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण को अनावेदक व्दारा किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं की गयी है। ग्राम पंचायत के फर्जी प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि बटवारे में प्राप्त होना दर्शाते हुए नामान्तरण कराया गया है। इस तथाकथित फर्जी नामान्तरण की जानकारी होने पर अनावेदक व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है जिसमें अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अनावेदक के पक्ष में प्रकरण मानते हुए स्थगन जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ मैने ग्राम चौरा न.न. 163 की प्रविष्टि कमांक 2 का अवलोकन किया। नामान्तरण पंजी क0–2 में यह अंकित है कि –

"ग्राम सभा 15–8–03 ग्राम सभा चौरा 163 की बैठक दि. 15–8–03 के प्रस्ताव क0–1 निर्णय दि. 15–8–03 से ग्राम चौरा की भूमि नं0 156/2 के बटवारा बावत इश्तहार जारी. म्याद समाप्त कोई आपत्ति पेश नहीं। अतः नामान्तरण बटवारा सर्वसम्मति से स्वीकृत।

पटवारी अभिलेख दुरूस्त करें।

हस्ताक्षर 15–8–03
सरपंच,ग्राम पंचायत झिरिया"

नामान्तरण पंजी में ना तो इश्तहार की प्रति संलग्न है और ना ही ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ही चस्पा है। संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत भूमि संयुक्त भूमिस्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज होने पर ही अभिलिखित

भूमिस्वामी व्दारा अपने अंश के बटवारे हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदकगण व्दारा अधीनस्थ न्यायालय या इस न्यायालय में भी ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रश्नाधीन भूमि पर उनका स्वत्व होने से भूमि के बटवारे की अधिकारिता होना मान्य किया जा सके। संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत भी नामान्तरण स्वत्व के विधिवत अन्तरण होने पर ही तहसील न्यायालय व्दारा किया जा सकता है, किन्तु इस प्रकरण में आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि पर किस प्रकार स्वत्व अन्तरित हुए, इस संबंध में कोई भी खुलासा ना तो निगरानी आवेदनपत्र में किया गया है और ना ही लिखित बहस में दर्शाया गया है। नामान्तरण पंजी में उल्लखित तथाकथित 'आपसी बटवारे' के आधार पर स्वत्व का विधिवत अन्तरण होना मान्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में नामान्तरण पंजी में पारित नामान्तरण बटवारा आदेश प्रथमदृष्टया अधिकारिता विहीन होने से अनावेदक के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी व्दारा स्थगन जारी करने में कोई त्रुटि नहीं की है। आवेदकगण के अभिभाषक का यह तर्क सही है कि संशोधन अधिनियम 2011 के पश्चात एक बार में स्थगन आदेश तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं दिया जा सकता, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी व्दारा स्थगन की पुष्टि करते समय इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस कारण, इस हद तक अनुविभागीय अधिकारी के स्थगन आदेश को संशोधित किया जाता है और अनुविभागीय अधिकारी का स्थगन आदेश अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील प्रकरण में कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करने के तीन माह तक प्रभावशील रहने के आदेश दिये जाते हैं। तत्पश्चात प्रकरण का गुण–दोष पर अतिम निराकरण नहीं होने पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा स्थगन को न्यायहित में बढ़ाया जा सकता है।

6/ उपरोक्तानुसार निगरानी का निराकरण किया जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0

यह कि निगरानी